ालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बरः–245/2018 प्रार्थना पत्र
ाभिषेक पिता उमेश चन्द्र समदानी, उम्र बालिग निवासी ए–24, शास्त्रीनगर–भीलवाड़ा तहसील व
भीलवाड़ा (राजस्थान)

बनाम ----प्रार्थी

नारायण पिता हजारी लाल जाट, उम्र बालिग निवासी नये मंदिर के पास, हलेड़ तहसील व
ला भीलवाड़ा (राजस्थान)
मति चांदी पत्नि सोहन गिरी (गोस्वामी) उम्र बालिग निवासी बस स्टैण्ड के पास, हलेड़ तहसील व
ला भीलवाड़ा (राजस्थान)
देबीलाल पिता सोहन गिरी गोस्वामी, उम्र बालिग निवासी बालाजी मंदिर के पास, दांथल रोड़,
ड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
कैलाश पिता सोहन गिरी गोस्वामी, उम्र बालिग निवासी बस स्टैण्ड के पास, हलेड़ तहसील व
ला भीलवाड़ा (राजस्थान)
रतन पिता सोहन गिरी गोस्वामी, उम्र बालिग निवासी बस स्टैण्ड के पास, हलेड़ तहसील व
ला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ति सोसर पत्नि छोगा बलाई, उम्र बालिग निवासी खेड़ाखूट माताजी के पास, बस स्टैण्ड , हलेड़
सील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पिन्टू पिता छोगा बलाई, उम्र बालिग निवासी खेड़ाखूट माताजी के पास, बस स्टैण्ड हलेड़,
सील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
देवबक्ष पिता छोगा बलाई, उम्र बालिग निवासी खेड़ाखूट माताजी के पास, बस स्टैण्ड, हलेड़
सील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

------विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–22.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व म 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार लेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1046 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा र्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व ाश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न ते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.9.2018 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे त्रावली किये गये । विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत थत नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश या गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

शत की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते य सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल नी नम्बर 1046 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को –रूपये (दौ सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner